

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 228]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 8 मई 2012—वैशाख 18, शक 1934

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 8 मई 2012

क्र. एफ-बी-1-14-2012-2-पांच (25).—मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक 2 सन् 1915) की धारा 62 की उपधारा (2) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश अपील तथा पुनरीक्षण नियम में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त नियमों में, नियम 6 में, उपनियम (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

“(2) यदि उपनियम (1) के अधीन किसी आदेश का निष्पादन रोक दिया जाता है, तब अधिरोपित शास्ति की रकम का कम से कम 25 प्रतिशत रकम जमा कराई जाए जैसा कि अपीली प्राधिकारी आदेशित करे.”

यह अधिसूचना, राजपत्र में, इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एन. के. जैन, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 8 मई 2012

क्र. एफ-बी-1-14-2012-2-पांच (25).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-बी-1-14-2012-2-पांच (25), दिनांक 8 मई 2012 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एन. के. जैन, उपसचिव.

Bhopal, the 8th May 2012

No. F-B-1-14-2012-2-V(25).—In exercise of the powers conferred by clause (c) of sub-section (2) of Section 62 of the Madhya Pradesh Excise Act, 1915 (No. II of 1915), the State Government, hereby, makes the following amendment in the Appeals and Revision Rules, namely:—

AMENDMENT

In the said rules, in rule VI, for sub-rule (2), the following sub-rule shall be substituted, namely:—

- “(2) If execution of any order is stayed under sub-rule (1), at least 25 percent of the amount imposed shall be deposited as ordered by the appellate authority.”.

This notification shall come into force from the date of its publication in the Gazette.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
N. K. JAIN, Dy. Secy.